

FORM-1
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated.....24.01.2019.....

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN


In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF) Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes read with MOEF.s letter dated 5th feb. 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that **0.638 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of the जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी0) district Almora falls within jurisdiction Digoti, Majethi Village (s) in Ranikhet tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.638 hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure.....
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:-YES
- (c) The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal groups and Pre-agricultural at communities:-YES

Encl: As above

विभागाध्यक्ष कल्याण वेदिकराव
अल्मोड़ा


Nitin Singh Bhadauria
 District Collector, Almora

FORM-II
Government of Uttarakhand
Office of the District Collector: Almora

No.....

Dated... 24.01.2019

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter No:-11-9/98-EC(pt) dated 3rd August 2009 where in the MoEF issued guideline on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled tribes and Other Traditional forest Dwellers (Recognition of forest Rights, Act 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, It is certified that **0.638 hectares** of forest land proposed to be diverted in favor of Construction Division P.W.D. Almora for the जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी०) district Almora falls within jurisdiction Digoti, Majethi Village (s) in Ranikhet tahsils.

It is further certified that:

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire **0.638** hectares of forest area proposed for diversion A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committee (s) Gram Sabha(s) Sub- Division Level committee (s) and District level committee are enclosed as annexure to annexure
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications, in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of forest-dwellers, who are eligible under the FRA. : YES
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out. And that they have given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the gram sabha of **Digoti, Majethi** villages (s) is enclosed as annexure 3.
- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of gram Sabha present: YES
- (e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it: YES
- (f) The rights of primitive tribal groups and pre-agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA: NA

Encl: As above

श्रीमान जयराज कल्याण शर्मा
 जिला अधिकारी
 अल्मोड़ा

Nitin singh Bhadauria
 District Collector, Almora

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER DISTRICT ALMORA (U.K)


Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Almora district, constituted under FRA, 2006 was held under the chairmanship of Mr. Nitin singh Bhadauria, I.A.S., deputy commissioner, Almora on date 24.01.19.....at time 5:00PM at Almora in which application claiming rights of **Digoti, Majethi village** measuring **0.638 hac.** for the जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी तक मोटर मार्ग (लम्बाई 4.00 किमी0) of forest land under FRA, 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of **Ranikhet** sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee. After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place; Almora


 Deputy Commissioner-cum-Chairman
 District Level Committee

DATE: 24.01.2019


 जिला स्तर पर कार्यवाही अधिकारी
 अल्मोड़ा

प्रपत्र-23.2

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०

कार्यालय उप जिलाधिकारी, रानीखेत

अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति, रानीखेत

उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु 31-4 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.638 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 31-4 हे० अर्थात् कुल 0.638 हे० का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-रानीखेत) की दिनांक 22.12.2018 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री विनोद कुमार उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।


- 1- श्री विनोद कुमार उप जिलाधिकारी रानीखेत अध्यक्ष
- 2- श्री चन्दन गिरि गोस्वामी उप प्रभागीय वनाधिकारी, रानीखेत वन प्रभाग अल्मोड़ा सदस्य
- 3- श्री राजीव सिंह सहायक समाज कल्याण अधिकारी तहसील सदस्य/सचिव
- 4- श्री महेंद्र सिंह बिहारी बी०डी०सी० क्षेत्र 2 सदस्य

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु 31-4 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.638 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि 31-4 हे० अर्थात् कुल 0.638 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा

अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड अल्मोड़ा परिक्षेत्र के अन्तर्गत मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु २५-५ हे० आरक्षित वन भूमि, ०-६३९ हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि २५-५ हे० अर्थात् कुल ०-६३९ हे० प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।


उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रानीखेत
जनपद-अल्मोड़ा

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील-रानीखेत
जनपद-अल्मोड़ा

परियोजना का नाम- जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक
मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- दिगोटी
तहसील-रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु खण्ड हे० आरक्षित वन भूमि, ०.६३९ हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि २५-५ हे० अर्थात् कुल ०.६३९ हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत दिगोटी द्वारा दिनांक २३/०५/२०१४ को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम दिगोटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव
जनपद अल्मोड़ा एवं विकास अधिकारी
दिगोटी

दि०
ग्राम प्रधान
दीपक
ग्राम,
जनपद अल्मोड़ा दिगोटी
पो० बों. मजखाली
पिन को० बाराहाट (अल्मोड़ा)

ग्राम पंचायत- दिगाई

॥ श्री.जी.सी.सी. ॥

दि०

ग्राम प्रधान
ग्राम,

दास संघात दिगंत
 री० जी० मजदाल
 री० री० शाशाहाट (अन्वेषण)

परियोजना का नाम— जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक
मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी०।


वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र


ग्राम पंचायत का नाम— मजेठी
तहसील—रानीखेत, जिला अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड के जनपद अल्मोड़ा में मजखाली-दिगोटी मोटर मार्ग से मजेठी ग्राम तक मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 कि०मी० के निर्माण हेतु श.य. हे० आरक्षित वन भूमि, ०-639 हे० सिविल सोयम भूमि, वन पंचायत भूमि श.य. है० अर्थात् कुल ०-639 हे० वन भूमि का प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मजेठी द्वारा दिनांक 23/05/2017 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोजिता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है। चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मजेठी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि० अल्मोड़ा को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।


ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी
मजेठी

ग्राम प्रधान

ग्राम पंचायत मजेठी
वन पंचायत, रानीखेत (अल्मोड़ा)

दिनांक 07/08/2024 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

मज्जी

त० रिघनी की जिला
= Avingh
10/04/2018

ग्राम प्रधान

11/11/11

• ग्राम पंचायत मजदूरी
ग्राम पंचायत, हाराहाट (अल्मोड़ा)